

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अ. हुकम में जास्
15/7/14	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी / प्रातवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकार ग अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्णवत दिनांक 18/8/14 का पेश हो 1/4	
18/8/14	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी / प्रातवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकार ग अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्णवत दिनांक 12/9/14 का पेश हो 1/4	
12/9/14	पत्रावली पेश हुई । वकील वादी / प्रातवादी उपस्थित / अनु. पत्रावलियों की अधिकता के कारण आज इस प्रकार ग अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्णवत दिनांक 17/9/14 का पेश हो 1/4	
17/9/15	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 09.07.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । पत्रावली दिनांक 30.11.2015 से बहस प्रार्थना पत्र के स्तर पर जैरकार है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नहीं जा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रकरण दिनांक 09.07.2014 से न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 11 वर्ष स्यतीत होने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि प्रार्थी स्वयं की रुचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नहीं है, हम उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।	सपखण्ड अधिकारी कोटा